न्यायालय सहायक कलक्टर, (Fast Track) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 34/2020

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 बालुसिंह 2 राजेन्द्रसिंह 3 जितेन्द्रकुमार 4 महेन्द्रसिंह पिसरान राजपुरोहित निवासी डिगड़ा/लंगेरा तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1 थानसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी डिगड़ा/लंगेरा तहसील व जिला बाड़मेर 2 तहसीलदार बाड़मेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :— 1. श्री मोहनलाल पूनड़, वकील वादीगण।

2. श्री भगवानसिंह राठौड़, वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 24/1/2020

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01, धनसिंह के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक भूमि मौजा डाबला पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 586/378 रकबा 29.16 बीघा तथा मौजा डीगड़ा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 311 रकबा 14.15 बीघा, खसरा संख्या 397 रकबा 16.01 बीघा, खसरा संख्या 652/355 रकबा 08.16 बीघा, खसरा संख्या 656/403 रकबा 26.08 बीघा कुल रकबा 95.16 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता धनसिंह की फौतगी पर वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 थनसिंह के नाम दर्ज हुई। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 थानसिंह के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 थानसिंह की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 थानसिंह के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादी संख्या 01 बालुसिंह द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादी संख्या 01 बालुसिंह द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:52:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने बयान में वाद कथन को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादीगण को खातेदार घोषित करने पर कोई आपति नही होना प्रकट किया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) बाड़मेर

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 थानसिंह के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा घोषित किया जावे।

वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि माफिक इकबाली जवाब एवं बयान प्रतिवादी संख्या 01 वाद स्वीकार किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 एवं राजीनामा का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 थानसिंह के साथ अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक इकबाली जवाब एवं बयान प्रतिवादी संख्या 01 स्वीकार किया जाकर मौजा डाबला पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 586/378 रकबा 29.16 बीघा तथा मौजा डीगड़ा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 311 रकबा 14.15 बीघा, खसरा संख्या 397 रकबा 16.01 बीघा, खसरा संख्या 652/355 रकबा 08.16 बीघा, खसरा संख्या 656/403 रकबा 26.08 बीघा कुल रकबा 95.16 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 थानसिंह के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 24/12/20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:52:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

प्रपत्र – 5

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.)

अनयान

अन्तिम डिक्री

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 बालुसिंह 2 राजेन्द्रसिंह 3 जितेन्द्रकुमार 4 महेन्द्रसिंह पिसरान राजपुरोहित निवासी डिगड़ा/लंगेरा तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 थानसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपुरोहित निवासी डिगड़ा/ लंगेरा तहसील व जिला बाडमेर 2 तहसीलदार बाडमेर।

दावा बाबत् 88 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 34/2020

निर्णय दिनांक :– 24/12/20

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24/12/20 को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक इकबाली जवाब एवं बयान प्रतिवादी संख्या 01 स्वीकार किया जाकर मौजा डाबला पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 586/378 रकबा 29.16 बीघा तथा मौजा डीगड़ा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 311 रकबा 14.15 बीघा, खसरा संख्या 397 रकबा 16.01 बीघा, खसरा संख्या 652/355 रकबा 08.16 बीघा, खसरा संख्या 656/403 रकबा 26.08 बीघा कुल रकबा 95.16 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 थानसिंह के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 24/12/20 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रोहित चौहान)
पीठासन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 11:52:30 IST
Reason: SelfAttested

मद का खर्चा

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्पस प्लीडर फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	